(231)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

24 NOV 2010

क्रमांक :–प.3 (119)नविवि/3/09 जयपुर, दिनांक

:: परिपत्र ::

विषयः–राज. भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 राज. नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) में सम्मिलित क्षेत्रों/ड्रॉफ्ट मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षेत्रों/पैरीफेरी क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में।

नगरीय क्षेत्र के निरन्तर विस्तार के कारण स्थानीय निकायों को नगरीय क्षेत्र में जन सुविधाओं/विकास कार्यो पर व्यय करना पडता है। राज्य के अनेकों शहरों के मास्टर प्लॉन बनाये जा रहे हैं, जिसके लिये नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 की धारा (3) के तहत संबंधित शहर को नगरीय क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किया गया है। इनमें से कई शहरों के ड्राफ्ट मास्टर प्लॉन भी अधिसूचित किये गये हैं तथा शीघ्र ही इन्हें अंतिम रुप दिया जाना है। नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इन क्षेत्रों का विकास अपने वर्तमान आर्थिक संसाधनों से वहन कर सकें। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी विभाग को निर्देश दिये गये हैं कि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये सभी संभव प्रयास किये जावें।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे: –

1. ड्राफ्ट मास्टर प्लॉन में सम्मिलित क्षेत्र में स्थित भूमि की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर सम्पूर्ण राशि संबंधित नगर विकास न्यास/नगर निकाय में जमा करवाई जावे।

2. राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) में अधिसूचित क्षेत्र में भी धारा 90–बी के तहत की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण राजस्व राशि भी संबंधित नगर विकास न्यास/नगर निकाय में जमा करवाई जावे।

3. जिन शहरों में मास्टर प्लॉन नहीं बने हैं, उनके पैरीफेरी बेल्ट क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरण राज. भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में

कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। मगर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करते समय टाउनशिप पॉलिसी 01.01.2000 अथवा नई टाउनशिप नीति, 2010 जो भी लागू हो, के अन्तर्गत निर्धारित व समय समय पर संशोधित बाह्य विकास शुल्क की राशि संबंधित नगरीय / स्थानीय निकाय में जमा करवाये जाने के पश्चात् ही रूपान्तरण आदेश जारी किये जावे। इस राशि से संबंधित निकाय क्षेत्र का विकास कर सकेगी।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. **प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।**
2. **विशिष्ठ सहायक,** माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, **स्वायत्त शासन एवं** आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. **निजी सचिव, प्रमुख** शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. **संभागीय आयुक्त** (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
8. **आयुक्त / जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।**
9. **जिला कलेक्टर** (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
11. **शासन उप सचिव,** प्रथम / द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
12. **निदेशक, स्वायत्त** शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर **को प्रषित कर लेख है कि परिपत्र को** समस्त नगरीय निकायों में सर्कुलेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।

प्रभुख शासन सचिव